

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक : एफ 11-12/2015/नियम/चार
प्रति,

भोपाल, दिनांक 4 नवम्बर, 2015

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश ।

विषय- मध्यप्रदेश शासन के अधिकारियों को कार्यालयीन दूरभाष/एस.टी.डी. सुविधा ।

संदर्भ- वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 11-20/2004/नियम/चार, दिनांक 24-12-2004, 13-12-2007 एवं दिनांक 11 मार्च 2010.



राज्य शासन के शासकीय सेवकों को कार्यालयीन दूरभाष व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए निम्नानुसार निर्देश जारी किए जाते हैं :-

(1) महामहिम राज्यपाल, माननीय मुख्य मंत्री, मंत्रीगण, संसदीय सचिव, विधानसभा अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, प्रमुख सचिव वित्त, प्रमुख सचिव गृह, राज्यपाल के सचिव, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार एवं पुलिस महानिदेशक के दूरभाषों पर व्यय सीमा नहीं होगी ।

(2) शासकीय दूरभाषों के व्यय की निम्नानुसार सीमाएं निर्धारित की जाती हैं :-

क्रं.	विवरण	सीमा
1.	कार्यालय दूरभाष अथवा फैक्स	₹ 1300/- प्रतिमाह
2.	विधानसभा सत्र में कार्यालय दूरभाष	₹ 1560/- प्रतिमाह
3.	प्रमुख सचिव / सचिव/ विभागाध्यक्ष/ जिलाध्यक्ष/जिला पुलिस अधीक्षक / संभागायुक्त / रेंज पुलिस महानिरीक्षक/ रेंज उप महानिरीक्षक .	कार्यालय दूरभाष पर ₹ 5000/- प्रतिमाह तथा ₹ 50000/- प्रतिवर्ष ।

PTO

- (3) शासकीय दूरभाष बिलों का सत्यापन संबंधित अधिकारी द्वारा किया जाना आवश्यक होगा। निज सहायक आदि से प्रमाणीकरण कराने की प्रथा बंद की जाती है। प्रस्तुत दूरभाष पर निम्नानुसार प्रमाण पत्र संबंधित अधिकारी द्वारा अंकित किया जाए :-
“प्रमाणित किया जाता है कि देयक में दर्शाए सभी काल्स शासकीय हैं एवं इनमें कोई भी काल्स निजी नहीं है ” ।
- (4) उपर्युक्त अनुसार निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक हुए व्ययों के लिए अनुमति नहीं दी जा सकेगी । अतः वित्त विभाग को इस प्रवृत्ति के प्रस्ताव न भेजे जाएं ।
- (5) संदर्भित आदेशों को एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है ।
- (6) यह आदेश दिनांक 01 नवम्बर, 2015 से प्रभावशील होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(अनिरुद्ध मुकुर्जी)
सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृष्ठा.क्रमांक : एफ 11-13/2015/नियम/चार
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 4 नवम्बर, 2015

1. राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधानसभा, भोपाल
3. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
4. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर
6. सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
7. निज सचिव/निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
9. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल
10. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल/जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर ।
11. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर ।
12. महालेखाकार (लेखा और हकदारी)/(आडिट)-1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर/ भोपाल ।
13. अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मंडल /माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल ।
14. प्रमुख सचिव/सचिव /उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल
15. आयुक्त कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश
16. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
17. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी) मंत्रालय, भोपाल
18. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय, भोपाल
19. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, एवं लेखा, मध्यप्रदेश
20. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश
21. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
22. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति कक्ष-2, मंत्रालय, भोपाल
23. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन / संघों
24. सभी कोषालय अधिकारी /उप कोषालय अधिकारी
25. संचालक, पेंशन भविष्य निधि एवं बीमा, म.प्र. किसान भवन, भोपाल
26. समस्त संभागीय/जिला पेंशन अधिकारी, मध्यप्रदेश
27. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित ।

(अजय चौबे)

उप सचिव

म.प्र.शासन, वित्त विभाग